फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

~~[illegible]~~ सुधार/नाम ~~[illegible]~~

धारा 136 L.R. Act किस्म ~~[illegible]~~

प्र0सं0 506/17

बाद जॉच ~~वाद~~/प्रार्थनापत्र/~~अपील~~ प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 22.1.18 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

28-1-18 पत्रावली पेश हुई। हजील प्रार्थी उपस्थित। ~~[illegible]~~ विपक्षी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ। जिसे तामिल पत्रावली दिये गये। विपक्षी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। P.O. का ~~[illegible]~~ राजस्व कार्य है ~~[illegible]~~ वास्ते पैरोकार सरकार के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 16-4-18 को पेश हो। B.O.

16-4-18 पत्रावली पेश हुई। हजील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार जवाब कायम करना चाहते है जवाब पेश करने हेतु समय दिया जाता है वास्ते पैरोकार सरकार के जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 10-5-18 को पेश हो।

11-5-18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत ~~[illegible]~~ कार्यालय पर पेश हुई। प्रार्थी व विपक्षी के सम्मन बाद तामिल। इकरार तामिल प्राप्त नहीं हुये। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। विपक्षी की तरफ से जवाब प्रस्तुत नहीं कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसे तामिल पत्रावली की गयी।

~~मैंने~~ पत्रावली का अवलोकन किया, तथा प्रार्थी की प्रार्थना व जवाब मातहत रिपोर्ट पर मनन किया गया। विवादित कार्यालय ग्राम कार्यालय पटवार हल्का कार्यालय तहसील व जिला भीलवाडा में किसान होकर इजाली S/o [illegible] रवाली काबिज देह के नाम दर्ज है की इजाली के देहान्त के बाद विरासत में इजाली के बजाय कलोपी देवी

Scanned by CamScanner

देवा हजारी, रामलाल, मीठूलाल, गोरालाल S/o देवीलाल, मुन्ना पुत्री देवीलाल, राधाबाई वेवा देवीलाल सबाती के नाम दर्ज करके भी सीमा डाले। जिसकी तारीख प्रस्तुत खेतलाल नं 1216 दिनांक 20-5-2006 को होती है तथा इसके पूर्व विवादित कार्यालय हजारी S/o रामा सबाती के नाम दर्ज रेकार्ड भी। जिसकी तारीख प्रस्तुत जमाबंदी की नकल सम्वत 2055 से 2059 को 2062 को होती है। बोटबाग तथा विराकत के बाद भी मीठूलाल S/o देवीलाल व अन्य के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी तारीख प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल सम्वत 2071 से 2074 को होती है। जबकि प्रार्थी ने शांतिलाल S/o देवीलाल के नाम हेतु पहचान पत्र की फोटो प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो प्रति, राशन कार्ड की फोटो प्रति, पेन कार्ड की फोटो प्रति, राशन कार्ड की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। जिसके प्रार्थी ने अपना नाम शांतिलाल होना कथित किया है। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में कथित तथ्यों के सम्बन्ध प्रार्थी का नाम मिठूलाल न होकर शांतिलाल होना बताया। जबकि विराकत का खेतलाल दिनांक 20-5-06 को पारित हुआ। जबकि प्रार्थी ने अपना नाम मिठूलाल न होकर शांतिलाल होना कथित किया। इस बाबत जो दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिनमें दिनांक 9-1-03, 13-6-05, 16-1-06, 19-2-15 कथित है जब विराकत बनाया बोला गया, उस समय मिठूलाल के बजाय शांतिलाल था। तो विराकत के बनाते वक्त मिठूलाल के बजाय शांतिलाल के नाम के दस्तावेज सम्बन्ध हाजिर क्यों नहीं की। क्योंकि शांतिलाल के नाम के दस्तावेज सन्दर्भ 2005, 2006 के थे। तो प्रस्तुत कर उसी समय संशोधन कराना चाहिये था। खेतलाल ग्राम पंचायत द्वारा तीसरी किया कराना चाहिये था। खेतलाल ग्राम पंचायत द्वारा जाया। उनको पक्षकार नहीं बनाया तथा ग्राम पंचायत द्वारा जो कागज बनाया गया। उसमें मिठूलाल होना स्वीकार किया। जो कागज बनाया गया। उसमें मिठूलाल है के दर्ज हुआ कहना है। इसके लिये स्वतः ही किया गया ऐसी क्रियाओं में शांतिलाल के दर्ज हुआ कहना है। इसके लिये प्रार्थी को कलेक्टर को गलत बता कर संशोधन कराना चाहता है। जो न्यायोचित व विधि के विपरीत है। क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा खुले नाम कलेक्टर को पहुंचा कराया गया। इस उसको गलत बताकर संशोधन चाहता है। ऐसी क्रियाओं में प्रार्थी डिक्री कराकर भी सादरसी प्राप्त नहीं कर सकता है।

:: कारण ::

द्वितीय: न्याय हित प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R.Act का किसी कारण से बकाया रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली निकाल शुमार की जाकर फैसला दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Scanned by CamScanner